शोध पत्र- भूगोल

कन्या भ्रूण हत्या एवं नवजात कन्या हत्य (भिण्ड जिला के विशेष संदर्भ में)

* गीतांजली सूर्यवंशी

* शोधार्थी (भूगोल) शासकीय हमीदिया कला व वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

March, 2012

भिण्ड जिला मध्यप्रदेश के चंबल संभाग के उत्तर में स्थित है इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 4459 वर्ग कि.मी. एवं क्षेत्र का विस्तार 25'55 से 26'48 उत्तरी अक्षांश एवं 78'12 से 79'05 पूर्वी देशांतर के मध्य है। जिले की समुद्र तल से ऊंचाई 152 से 183 मीटर है। जिले का उत्तरीय पूर्व भाग उत्तर प्रदेश के इटावा–जालौन पश्चिमी दक्षिणी भाग मध्यप्रदेश के मुरैना, ग्वालियर एवं पूर्व दिशा से पांच नदियां चंबल, क्वारी, बैसली, सिंध एवं पहुंच नदिया प्रवाहित होती है। जिले को सात तहसीलो– अटेर, भिण्ड, मेहगांव, गोहद, रौन, मिहोना एवं लहार है। गर्मी का तापमान अधिकतम 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जबकि सर्दी में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जिले में औसत वर्षा 759.2 मि.मी. वार्षिक है। जिले में वन न होने से वनोपज की मात्रा शून्य है। विषम जलवायु अर्थात वार्षिक तापान्तर की अधिकता एवं न्यून वर्षा के कारण ज्वार बाजरा एवं मक्का का उत्पादन होता है लेकिन इसके साथ ही सिंचाई सुविधाओं के कारण गेहूं एवं सरसों का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता हैं।

कृषि एवं पशु पालन ग्रामीण क्षेत्रों का मुख्य व्यवसाय है। जनगणना 2011 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में लिंग अनुपात 938 है जो मध्यप्रदेश की सबसे न्यूनतम अनुपात वाला जिला भिण्ड है। जनसंख्या 1,703,562 है। जिसमें 72.4 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या एवं 27.6 प्रतिशत नगरीय है। जिले में जनसंख्या घनत्व 382 प्रतिवर्ग कि.मी. है। शिशु लिंगानुपात 835 है। जिले में कुल 935 ग्राम है जिसमें 889 आबाद व 46 ग्राम वीरान है। साक्षरता दर का प्रतिशत 721 है। जिसमें 57.6 प्रतिशत स्त्रियां एवं 79.9 प्रतिशत पुरूष है। 2008 में शिशु मृत्यु 164 थी।

भ्रूण–हत्याओ में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पुरूषो के मुकाबले महिलाओं की संख्या दिनोंदिन कम होती जा रही है। गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जांच के बाद कन्याओं को गर्भ में ही समाप्त करने का सिलसिला खतरनाक रतार से बढ़ रहा है।

विषम लिंग अनुपात प्राकृतिक न होकर मानवीकृत है अर्थात् विभिन्न कारणो से बलिकाओं एवं महिलाओ की अधिक मृत्यु होती है जैसे :– कुपोषण, उपेक्षापूर्ण व्यवहार, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, नवजात कन्या हत्या एवं कन्या भ्रूण हत्या प्रसवकालीन एवं प्रसवोपरांत मातृ मृत्य एवं अविवाहित युवकों की बढ़ती संख्या, पुत्र प्राप्ति मानसिकता, लिंग भेद का शिकार 'कन्या भ्रूण', अशिक्षा कन्या भ्रूण हत्या में सहायक।

आज जब हम 21 वी सदी में प्रवेश कर चुके हैं तब भी हमारे लोगों की मानसिकता में अधिक बदलाव नही आया है। भिण्ड जिले में नवजात लड़कियों का गला दबाकर आक का दूध मिलाकर, चाल की भूसी मुंह में डालकर, सुतली गले में बांधकर, या फिर सदियों के दिनो में गीले कपड़े में लपेटकर मार दिया जाता है। फिलहाल इस क्षेत्र में काफी प्रगति हो चुकी है। लड़कियों को पैदा करने मारने में अमानवीयता लो है ही, साथ ही साथ यह गैरकानूनी भी है। फिर उसे गर्भ में इस झंझट को पालने की जरूरत ही क्या है? विज्ञान ने इसका बेहतर विकल्प दे दिया है। आजकल लड़कियों को पैदा होने के बाद नही, इससे पहले ही मार दिया जाता है।

भिण्ड जिला में भ्रूणहत्या से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं–

1. भ्रूण परीक्षण उपरांत कन्या भ्रूण की हत्या सफाई के नाम से प्रचलित है। 2. नवजात कन्या हत्या जारी है जिसमें तम्बाकू का प्रयोग मुख्य है। 3. स्थानीय लोगों में इस कार्य को लेकर कोई पछतावा नही है। 4. लड़किया तथा महिलाऐं स्वंय ही पुत्र तो 5–6 चाहती हैं। पर पुत्री 1 या 2 से अधिक बिल्कुल नहीं।

तालिका कमांक 1 भिण्ड जिला – लिंग अनुपात 2001–2011

लिंग अनुपात		0–6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात	
2001	2011	2001	2011
829	838	832	835

जिला	कुल			महिला			पुरूष		
	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय	कुल	ग्रामीण	नगरीय
भिण्ड	14.2	14.5	13.2	14.1	14.5	13.1	14.2	14.5	13.4

"स्त्रियों की संख्या कितनी कम रह जायेंगी? क्या होगा भविष्य में जब स्त्रियों की संख्या पुरूषो की तुलना से कम रह जायेगी? इसका प्रमुख कारण यह है कि बीते दशक में

5. प्रसव कालीन महिला मृत्यु दर बहुत कम है। क्योंकि सरकार द्वारा नगद लाभ देने से सभी प्रसव अस्पताल में होते हैं।
6. क्षेत्र में अन्य व दूध की कमी नही है। अतः कुपोषण लगभग नही है।
7. साक्षरता वास्तविक न होकर कागजी अधिक है।
8. निवासियों में कुछ स्वभावगत विशेषताऐं है। जैसे– जल्दी ही उत्तेजित होना, दूसरे की वस्तु या संपति हड़प लेना। छोटी–छोटी बातों पर बंदूकों लाठियों का खुलकर प्रयोग।
9. बेटा और बंदूक जीवन के लिये स्वाभिमान के लिये अत्यावश्यक हैं। यह परिवार की शान व शक्ति भी हैं। जबकि बेटियां असुरक्षा व कमजोरी हैं।
10.बेरोजगार एवं अल्प शिक्षित युवकों की टोलियां हर जगह हैं जो एक बडी समस्या है। अध्ययन क्षेत्र में समस्या का कारण केवल मानसिक प्रवत्ति है। साक्षात्कार अनुसूची में 100 प्रतिशत न लड़कियां न चाहने का कारण दहेज बताया। दूसरा कारण लड़के वालो को हमेशा देते रहो एवं दबते रहो बताया। तीसरा कारण लड़कियां पराई अमानत हैं कम हो तो ठीक है। बेटियों की सुरक्षा करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य कारण बताये गये।

अध्ययन के निष्कर्ष में कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं –

1. स्थानीय लोगों की सोच एवं मनोवृत्ति में परिर्वतन अत्यावश्यक है। जिसके लिए साक्षरता का विस्तार विशेष रूप से महिलाओं के लिये किया जाये।
2. महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था एक साथ हो।
3. युवकों को स्वरोजगार के लिये क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाये एवं उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाये।
4. आवागमन के साधन पर्याप्त हों।
5. आंगनबाड़ियों को विशेष ट्रेनिंग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे नवजात कन्या हत्या एवं कन्या भ्रुण हत्या के मानसिक बदलाव में सहायक हो।
6. लाड़ली लक्ष्मी योजना को कुछ शर्तो में कुछ छूट दी जाये ताकि अन्य संभागों की भांति इस संभाग में भी इसके हितग्राही बढ़ सके।
7. .अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया जाये। ताकि शीघ्रताः से लिंगानुपात संतुलित हो सके।

अन्त में, समस्या को दूर करने के लिये उपरोक्त सुझावों में से योजनाऐं बनानी होंगी। योजनाओं के बनाने और लागू होने से अधिक आवश्यक है उनका वास्तविक रूप में कार्यरत होना। राजनीतिक प्रभावों को इन योजनाओं से दूर रखना आवश्यक है।

REFERENCE

1. मंजु गुप्ता, (2009) "भ्रूण–हत्या और महिलाओं", अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली। 2. प्रकाश नारायण नाराणी, (2007) "भारत में कन्या भ्रूण हत्या एवं महिलाओ के प्रति घरेलू हिंसा",शांति नगर जयपुर। 3. जिला विकास पुस्तक (2008), जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश)। 4. Provisional Population Total Paper 1 of 2011 Madhya Pradesh Series 24.
5. Provisional Population Total Paper 2, Volume, 1 of 2011 Rural Urban Distribution Madhya Pradesh Series 24.